राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप / जय / CLICK / 2020 / 11171 दिनांकः 6 /3 /2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः– क्लिक कार्यक्रम के आगामी सत्र 2020–21 में संचालन की पूर्व तैयारी के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भः– परिषद का पत्र क्रमांक 4170 दिनांक 30.07.2019, क्रमांक 9189 दिनांक 20.12.2017, क्रमांक 8256 दिनांक 17.11.2017 एवं क्लिक कार्यक्रम के संबंध में जारी दिशा–निर्देश।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि जिले के चयनित विद्यालयों में CLICK (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge) कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नोलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीकृत ITGK के द्वारा एमओयू करके स्वपोषित योजना के तहत विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षण कार्य विद्यालय स्तर पर करवाये जाने की योजना सत्र 2017–18 से चल रही है। आगामी सत्र 2020–21 में भी जिला स्तर से संचालन की पूर्व तैयारी, मॉनिटरिंग एवं सहयोग कर कार्यक्रम को गति प्रदान करे।

सत्र 2020–21 क्लिक योजना से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु निम्नांकित पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देश /पालना भी करे :–

1. राजस्थान के किसी भी जिले में स्थित आईटी ज्ञान केन्द्र को किसी भी जिले के विद्यालयों के साथ एम.ओ.यू. करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आर.के.सी.एल. द्वारा श्रेष्ठ कार्य हेतु प्रशंसित अधिकृत आईटी ज्ञान केन्द्रों को एमओयू हेतु वरीयता दी जा सकती है।
2. दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 3.4 अनुसार न्यूनतम 200 विद्यार्थियों को क्लिक योजना से लाभान्वित किया जाना है। पाचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी जोड़ सकते है।
3. क्लिक योजना से विद्यालय के सभी इच्छुक विद्यार्थियों को लाभान्वित करवाना सुनिश्चित करे ताकि सभी विद्यार्थियों में एकरूपता से कम्प्यूटर ज्ञान कौशल व व्यावसायिक दक्षता विकसित हो सके।
4. परिषद के पूर्व दिशा निर्देशानुसार पाठ्यक्रम की निर्धारित समयावधि कक्षा 6 से 8 तक 50 घण्टे, व कक्षा 9 से 10 तक क्रमशः 72 व 60 घण्टे (पूरे वर्ष में) कोर्स होना है। निर्धारित अवधि में ही कोर्स पूर्ण किया जाना है।
5. क्लिक योजनान्तर्गत सत्र 2018–19 / 2019–20 का बकाया भुगतान व आगामी भुगतान भी एम.ओ.यू. किए गए आर.के.सी.एल. के अधिकृत आई.टी. ज्ञान केन्द्र को ही किया जाना सुनिश्चित करे। किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जाए। विद्यार्थियों से एकत्रित की गई फीस / शुल्क चैक के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रोपराईटर फर्म की स्थिति में फर्म के संस्थाप्रधान के नाम से चैक दिया जा सकता है।
6. क्लिक योजना क्रियान्वयन हेतु प्रारूप सहमति पत्र एमओयू में अंकित योजना का प्रारूप बिन्दु संख्या–1 कार्ययोजना के सब बिन्दु (ङ) एवं बिन्दु संख्या 2 भूमिका एवं दायित्व के सब बिन्दु (ग), (घ) में अंकित एस.डी.एम.सी. स्वयं के स्तर से वित्त प्रबंधन के प्रयास कर योजना का उन्नयन किया जावे।

www.rajteachers.com

7. विद्यार्थी हित में क्लिक योजना क्रियान्वयन हेतु एमओयू में अंकित शर्तों की पालना हेतु दोनों पक्ष पाबंद रहेंगे एवं किसी भी स्थिति में दोनों पक्ष की सहमति या विपरीत स्थिति में परिषद् की लिखित अनुमति के बिना एमओयू निरस्त नहीं किया जाएगा।
8. जिले में आगामी सत्र 2020–21 में क्लिक कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित होने वाले विद्यालयों की प्रगति से परिषद मुख्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
9. राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्लिक योजना का संचालन केवल आर.के.सी.एल. द्वारा अधिकृत आईटी ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ही किया जाना है अतः किसी भी स्थिति में अन्य बाहरी व्यक्ति/संस्था के माध्यम से इसका संचालन व उसे वित्तीय भुगतान निर्देशों की अवहेलना करना होगा व संस्था प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिप/जय/CLICK/2020/11171 दिनांक: 6/3/2020

प्रतिलिपिः – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त विद्यालयों (रामावि/राउमावि/मॉडल स्कूल) में प्रेषित कर लेख है उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करे।
5. प्रबंध निदेशक, आरकेसीएल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त–प्रथम

www.rajteachers.com